

**केंद्रीय विद्यालय ओ.ई.एफ़. कानपुर**  
**KENDRIYA VIDYALAYA OEF KANPUR**

**सत्र 2018-19 में कक्षा -1 में प्रवेश के लिए सूचना**

1. कक्षा-1 में अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का प्रवेश दिनांक 02-04-2018 से 07-04-2018 प्रातः 09:00 बजे से अपराह्न 12:00 बजे तक किया जायेगा।
2. अंतिम तिथि के पश्चात प्रवेश पर विचार करना संभव नहीं होगा।
3. अभिभावक अपने पाल्य को प्रवेश के दिन अवश्य साथ लाएं।
4. अनंतिम चयनित अभ्यर्थियों की सूची में नाम होने मात्र से अभ्यर्थी प्रवेश का हकदार नहीं होगा।
5. जाली दस्तावेजों / तथ्यों का गलत रूप से प्रस्तुतीकरण / निर्धारित समय के अंदर वांछित दस्तावेजों को उपलब्ध न करा पाना, जैसी स्थितियों में विद्यालय प्रशासन को प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।
6. प्रवेश के समय निम्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति लगाना अनिवार्य है।
  - I. विद्यार्थी का जन्म प्रमाण पत्र (नगरपालिका द्वारा जारी इंटरनेट कॉपी / सेवा पुस्तिका की प्रमाणित प्रति)
  - II. निवास प्रमाण पत्र (आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / फोन बिल / बिजली बिल / गैस कनेक्शन / ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
  - III. विद्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र (इंटरनेट कॉपी)
  - IV. एकल पुत्री प्रमाण पत्र (प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित)
  - V. विद्यार्थी की ब्लड ग्रुप रिपोर्ट
  - VI. विद्यार्थी का आधार कार्ड
  - VII. अभिभावक का ईमेल
  - VIII. अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित) / बीपीएल कार्ड (इंटरनेट कॉपी)
  - IX. विभाग द्वारा जारी नवीनतम सर्विस प्रमाण पत्र (डीडीओ के नाम, पद, हस्ताक्षर एवं फोन नं. के साथ)
  - X. विद्यालय से आवास की दूरी का प्रमाण पत्र,
  - XI. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग (विकलांग) प्रमाण पत्र, आदि
7. किसी भी अनंतिम चयनित अभ्यर्थी का प्रवेश दिनांक 07-04-2018 के बाद नहीं लिया जायेगा एवं रिक्तियां शेष रहने पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम में प्रवेश दिया जायेगा।
8. शुल्क का विवरण :-

1	प्रवेश शुल्क	25 रु.
2	वी वी एन (अप्रैल 2018-जून 2018) 500 रुपये प्रति माह	1500 रु.
कुल		1525 रु.
9. आर टी ई (शिक्षा का अधिकार) कोटा के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा बशर्ते वे (श्रेणी V को छोड़ कर) अपने विभाग से बाल शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति प्राप्त

करने के अधिकारी न हों (कृपया इस आशय का विभागीय डी.डी.ओ. द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)।

10. देय त्रिमासिक शुल्क का भुगतान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा द्वारा (ऑनलाइन अथवा काउंटर पर) दिनांक 07-04-2018 तक किया जाना अनिवार्य है अन्यथा प्रवेश निरस्त समझा जाएगा।

प्राचार्य